झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष सं0 :–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल :–ndc-deoghar@jharkhandmail.gov.in

शिव की नगरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ महोत्सव–2020 स्थानीय शिवलोक मैदान में दिनांक 28 मार्च एवं 29 मार्च 2020 को मनाया जाना है। इस अवसर पर विधि–व्यवस्था नियंत्रण के साथ–साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु **''इच्छा की अभिव्यक्ति''** के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है:–

A- कार्यक्रम हेतु बाबाधाम मोडल का 60'X40' का स्टेज निर्माण, स्टेज पर पंडाल, ग्रीन रूम, बेरिकेटिंग, सम्पूर्ण मैदान में कारपेट, विद्युत व्यवस्था, झालर, आकृति, लाईट गेट, स्टेज के पीछे 50'X12' का LED स्क्रीन, कुर्सी 5000 पीस, सोफा 40 पीस, स्टॉल 10 अद्द, टेबूल घेरा सहित, सेन्टर टेबूल, फुल सजावट तीनों दिन, बुके, थरमोकॉल का कार्य, तीनों दिन VIP के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था।

B- सम्पूर्ण साउण्ड सिस्टम, स्टेज लाईट एवं बाहर मैदान में चार 12'X8' का चार LED स्क्रीन, ड्रोन कैमरा।

उक्त प्रस्ताव देने की निम्न शर्तें हैं।

1. प्रस्ताव देने के पूर्व इच्छुक संस्थान/व्यक्ति को संबंधित स्थान का निरीक्षण कर लेना आवश्यक होगा।
2. प्रस्ताव के साथ आयकर/GST से संबंधित अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. झारखण्ड राज्य के निबंधित संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
5. संवेदक को जी०एस०टी०, परिवहन व्यय इत्यादि को सम्मिलित करते हुए दर का उल्लेख करना है। परिवहन के लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगी।
6. उक्त कार्य के लिए इच्छुक संस्थान/व्यक्ति को सुरक्षित राशि 50,000.00(पचास हजार) रूपये मात्र का ड्राफ्ट उपायुक्त, देवघर के पद नाम से जमा करना होगा।
7. सभी प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (जिला नजारत शाखा) में दिनांकः 17.03.2020 को अपराह्न 2:00 बजे तक स्वीकार किए जाऐंगे। प्रस्ताव का निष्पादन उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे प्रस्तावक या उनके प्रतिनिधि के समझ दो खण्ड में खोला जाएगा। **(I) तकनीकी बीड** **(II) वित्तीय बीड**
8. वित्तीय बीड उन्ही संस्थानों का खोला जाएगा, जिनकी तकनीकी बीड कार्य के अनुरूप हो। तत्पश्चात वित्तीय बीड़ को आधार मानकर एजेन्सी का चयन किया जाएगा। संबंधित कार्य दिनांकः 27.03.2020 को अपराह्न तक पूर्ण करना होगा।
9. बिना कारण बताए अभिव्यक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार **इच्छा की अभिव्यक्ति समिति** को सुरक्षित रहेगा।
10. **''इच्छा की अभिव्यक्ति''** से संबंधित सूचना जिले के बेवसाइट https:// deoghar.nic.in पर देखा जा सकता है।

5/3/2020

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता
देवघर

04/03/2020

5/3/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

D:\Nazarat\Tender\Baidyanath Mahotsav - 2020.docx